न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 48 दिनांक : 13.10.2017

1. मनोहर पुत्र सोहनलाल जाति सुनार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये क्षैत्रिय वन अधिकारी नोहर तहसील भादरा।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.09.2017
निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता, अपीलांट
सहायक वन सरंक्षक, भादरा – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांकः– 05.01.2018**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है :–

1. यह कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2017 प्रकरण सं. 75/2013 बअनवानी स्टेट बनाम मनोहर अबदालत सहायक वन सरंक्षक नोहर जिला हनुमानगढ विधि की अवहेलना में एक पक्षीय तौर से पारित किया है जो अपास्तनीय है प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 25.09.2017 प्रकरण सं. 75/2013 सलंग्न अपील मीमों है।
2. यह कि अपीलांट की सुरतपुरा तहसील नोहर के रोही मौजा में खाता सं. 172/149 की ख.न. 85 के किला नं. 16,17,24,25 व ख.न. 86 के कि.न. 17 ता 24 कुल 12 किता की 2.730 है0 भूमि खातेदारी कृषि भूमि है जिसके उतर में 2 किला खाली भूमि छोडकर ख.न. 75 की भूमि है। अपीलांट की केवल अपनी खातेदारी कृषि भूमि ही काश्त की हुई है ख.न.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

75 की भूमि को अपीलांट ही काश्त करते कभी काश्त नही किया मातहत अदालत ने पैमाईश सही तौर से नही करवाई तथा कृषि भूमि पैमाईश पटवारी हल्का से करवानी थी जबकि पटवारी हल्का को कोई सूचना तक नही दी गई तथा किस मरगज तक नाप लिया गया सीमा चिन्ह का आधार किसे बनाया कोई पत्रावली पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण नही है। यह वाद भूमि की वास्तविक वस्तुस्थिति से पटवारी के अलावा नाका प्रभारी व साईड इंचार्ज अनभिज्ञ थे उन्होने कोई नक्शा पत्रावली में प्रस्तुत नही किया मौके पर खेत पडोसीयान की कोई साक्ष्य नही ली इसलिए अपीलाधीन निर्णय गैर कानूनी ढंग से पारित होने से अपास्तनीय है।

3. यह कि वाद भूमि पैमाईश पटवारी हल्का से नही करवाई गई तथा पटवारी हल्का को मौके पर नही बुलाया गया अधुरी व निराधार रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
4. यह कि धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने का अधिकार केवल तहसीलदार राजस्व भादरा को थी मातहत अदालत को धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नही था। इसलिए बिना किसी क्षेत्राधिकार के यानि Without Juridiction अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
5. यह कि मातहत अदालत ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा अपीलांट को जबावदेही व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय मनमाना व नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
6. यह कि मातहत अदालत ने किस गांव अथवा रोही मौजा की भूमि में कब्जा/अतिचार माना है कहीं कोई उल्लेख नही किया केवल 120/120 मीटर व 75/75 मीटर में अवैध काश्त मानी है जबकि ख.न. 75 में अपीलांट की कोई काश्त नही है क्योंकि अपीलांट की भूमि के 2 किला लम्बाई में छोडकर ख.न. 75 है रेस्पो. बिना सही माप जोख के अपीलाधीन निर्णय की आड में खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल करने के लिए आमादा हो रहें है। मातहत अदालत का निर्णय दोषपूर्ण है तथा नाका प्रभारी व साईड इंचार्ज का भूमि नाप करने की कोई अनुमति ली गई इसलिए अपीलाधीन निर्णय गैर कानूनी ढंग से पारित होने से अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक वन सरंक्षक, भादरा उपस्थित। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक वन अधिकारी नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 25.09.2017 से प्रार्थी को ग्राम सूरतपुरा में वन विभाग की भूमि मु.न. 75 के 120 गुणा 120 पर अवैध काश्त मानते हुए अतीक्रमी घोषित कर बेदखल करने व तवान वसुली के आदेश दिए है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की ना तो मौका की जांच की गई ना ही विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि अप्रार्थी ने मु.न. 75 की भूमि पर अवैध काश्त की है जबकि 1 मुरब्बा में 25 बिघा भूमि होती है। मुरब्बा के कोनसे किला में काश्त है, अंकित नही है साथ ही तवान की उल्लेख किया है जबकि तवान लगाया ही नही गया केवल यह लिखा है कि नियमानुसार दर से वसुल किया जावे। जबकि निर्णय में स्पष्ट तथ्यों को उल्लेख किया जाना होता है। ना तो मु.न. 75 में अपीलांट की काश्त है बल्कि अपीलांट की ख.न. 85 व 86 में खातेदारी भूमि है। मु.न. 75 उसकी भूमि से दो बिघा दुर है। इस प्रकार बिना किसी प्रमाण के अपीलांट को अतीक्रमी घोषित किया है जो खारिज फरमावें।

सहायक वन अधिकारी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौका पर जाकर अडौसी–पडौसियों के बयान लिए गए व मौका पर पैमाईश भी की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। अपीलांट अतीक्रमी है, इसलिए उसके विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली व तवान वसुली के आदेश दिए गये है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तथा मौका रिपोर्ट जो सहायक वन अधिकारी ने प्रस्तुत की उसका भी अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह कहीं सिद्ध नही होता है कि अपीलांट ने मु.न. 75 की भूमि पर काश्त की है। जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मु.न. 85 के कुल 8 किला वन भूमि पर अवैध काश्त करनी बताई है। मु.न. 75 की भूमि पर नाजायज काश्त साबित नही है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09.2017 अपास्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि पुनः

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जांच कर व सही पैमाईश की जाकर अगर अपीलांट द्वारा वन भूमि पर नाजायज काश्त की जानी पाई जावे तो नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)